# न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर

**जी.सी.एम.नम्बर 2024/14**

1. श्रीमती बत्तो पुत्री सोहन लाल पत्नी श्री किशोरीलाल जाति चमार
2. बद्री प्रसाद पुत्र धनीराम, जाति चमार
3. तेजाराम पुत्र धनीराम जाति चमार निवासीयान ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर।

अपीलार्थीगण

**बनाम**

1. विजयकुमार पुत्र निरंजनलाल, जाति महाजन निवासी भगवती सदन स्टेशन रोड, अलवर।
2. तहसीलदार महोदय अलवर कार्यालय तहसीलदार अलवर तहसील व जिला अलवर।
3. सोहन बाई पुत्री पांचा, जाति चमार निवासी ग्राम देसूला तहसील व जिला अलवर।

... तर0 रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध निर्णय दिनांक 11.05.1989 न्यायालय सब डिविजनल ऑफिसर अलवर जिला अलवर, पत्रावली संख्या 5/99/87 उनवानी विजय कुमार बनाम पांचा वगै0

उपस्थित–

1. श्री हरीस कुमार जसवानी वकील अपीलान्ट

**निर्णय**

दिनांक–19.02.2024

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के आदेश दिनांक 11.05.1989 के खिलाफ प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम की धारा–5 के साथ प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि यह कि रेस्पोडेण्ट संख्या 1 विजयकुमार पुत्र निरंजनलाल ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा के तहसीलदार अलवर द्वारा खोले गये नामान्तरकरण संख्या 439 दिनांक 14.08.1985 को गलत बताते निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.1989 को अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 439 दिनांक 14.08.1985 निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 11.05.1989 से व्यथित होकर अपीलान्ट श्रीमती बत्तो पुत्री सोहन लाल द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 11.05.1989 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

4. अपील प्रस्तुत होने पर अपीलांट योग्य अधिवक्ता की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

संभागीय आयुक्त
जयपुर

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित आराजीयात वाके ग्राम देसूला तहसील अलवर में स्थित भूमि आराजी खसरा नम्बर 137 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा अपीलांट व रेस्पो0 संख्या 3 के पूर्वज स्व0 पांचा पुत्र स्व0 शम्भू खातेदार काश्तदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। उनके देहान्त के पश्चात अपीलांट, रेसपोडेण्ट संख्या 3 व उनके विधिक वारिस का कब्जा चला आ रहा है। प्रार्थीगण जाति से चमार है जिस बाबत् अनुसूचित जाति की व्यक्ति की भूमि का हस्तान्तरकरण किसी सुवर्ण जाति के व्यक्ति के हक में नहीं हो सकता है। प्रत्यर्थी संख्या 1 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तहसीलदार अलवर के इन्तकाल संख्या 439 दिनांक 14.08.1985 गलत बताते निरस्त फरमाये जाने की अपील की जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 11.05.1989 को अपील स्वीकार कर नामान्तरकरण संख्या 439 दिनांक 14.08.1985 निरस्त किये जाने के आदेश दिये गये। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों पर गौर किये एवं बिना विधिक वारिसान को सुनवाई का अवसर दिये अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो कि विधिविरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर दिनांक 11.05.1989 निरस्त किया किया जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड से जाहिर होता है कि उक्त मूल विवाद विरासत के आधार पर खोले गये नामान्तरकरण संख्या संख्या 439 दिनांक 14.08.1985 को लेकर है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 11.05.1989 के लगभग 35 वर्षो बाद अपील पेश की है इस संबंध में हमारा विनम्र मत है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 कानून मियाद अधिनियम में वर्णित तथ्यों की पुष्टि में एवं विलम्ब के कारणों की पुष्टि हेतु कोई ठोस विधिक दस्तावेज/साक्ष्य पेश भी नहीं किया है। ऐसी दशा में अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किया जाना उचित समझते है।

**अतः आदेश है कि:** अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का निर्णय दिनांक 11.05.1989 यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।